

भाग ख पूंजी प्राप्तियां

पूंजी प्राप्तियों के अनुमान

निम्न विवरण में पूंजी प्राप्तियों के अनुमानों का मोटे तौर पर श्रेणीवार संक्षिप्त ब्यौरा दिया गया है। 2000-2001 के बजट अनुमानों और संशोधित अनुमानों के बीच तथा 2001-2002 के संशोधित अनुमानों और बजट अनुमानों के बीच होने वाली घट-बढ़ का स्पष्टीकरण देने वाली संक्षिप्त टिप्पणियों के साथ अतिरिक्त ब्यौरा इस विवरण के बाद की टिप्पणियों में दिया गया है। विवरण में शामिल उधार और अन्य ऋण वापसी अदायगियों को घटाकर दिये गये हैं।

	बजट 2000-2001	संशोधित 2000-2001	बजट 2001-2002
1. बाजार ऋण	76382.90	75947.37	72852.53 [#]
2. अल्पावधि उधार	...	2000.00	4500.00
3. विदेशी सहायता (निवल)	(-) 44.14	574.38	1864.85
4. ऋणों और अग्रिमों की वसूलियां	13539.00	14885.00	15163.68
5. सरकारी क्षेत्र के उद्यमों और विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों में इक्विटी धारिता का विनिवेश	10000.00	2500.00	12000.00
6. लघु बचतों के एवज में जारी प्रतिभूतियां	8000.00	7949.82	9000.00
7. राज्य भविष्य निधियां (निवल)	7500.00	8500.00	9500.00
8. गैर-सरकारी भविष्य-निधियों, जीवन बीमा निगम आदि की विशेष जमा (निवल)	9722.18	9215.27	10252.57
9. अन्य प्राप्तियां (निवल)	9714.08	5179.09	8344.17
जोड़-प्राप्तियां (निवल)*	134814.02	126750.93	143477.80

[#] बजट अनुमान 2001-2002 में सरकार के राजस्व पर बजट प्रस्तावों के निवल प्रभाव को हिसाब में लिया गया है।

* अनुबंध 9 में उपर्युक्त अनुमानों का मिलान वार्षिक वित्तीय विवरण में प्रदर्शित प्राप्तियों के अनुमानों के साथ प्रस्तुत किया गया है।

1. बाजार ऋण:

वर्ष 1992-93 में भारत सरकार ने दिनांकित सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामी द्वारा बिक्री की योजना शुरू की, जिसका संचालन मुम्बई स्थित भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है। यह विशिष्ट ब्याज दरों पर ऋण जारी करके बाजार ऋण जुटाने की पहले की चल रही प्रथा से अलग था। नीलामियों के द्वारा खुले बाजार से जुटायी गई उधार की धनराशि के अलावा दिनांकित प्रतिभूतियों में राजकोषीय हुण्डियों के अन्तरण, ब्याज रहित परन्तु छूट पर बेचे जाने वाले जीरो-कूपन बाण्ड, किश्तों में भुगतान किये जाने वाले स्टॉक, अस्थाई दर बाण्ड्स, पूंजी सूचकांकित बाण्ड्स आदि जैसे अन्य साधनों से भी ऋण जुटाये जाते हैं।

वित्तीय वर्ष 2000-2001 के दौरान अर्थात् 12 फरवरी, 2000 के अंत तक बाजार-ऋण के विभिन्न साधनों से सकल आधार पर 97183.45 करोड़ रुपए की धनराशि जुटाई गई।

बजट अनुमान, 2001-2002

निम्नलिखित ऋणों को जिनकी बकाया राशि उनके सामने दर्ज कर दी गई है, वर्ष 2001-2002 में विमोचित किया जाएगा:

	(करोड़ रुपए)
13.75% सरकारी स्टॉक 2001	2000.00
12.08% सरकारी स्टॉक, 2001	900.00
5.75% ऋण 2001	225.84
6.50% ऋण, 2001	93.61
11.55% सरकारी स्टॉक, 2001	5398.72
7.50% ऋण, 2001	304.28
10.85% सरकारी स्टॉक, 2001	5000.00
10.75% ऋण, 2001	52.77
11.75% सरकारी स्टॉक, 2001	8078.36
11.00% ऋण, 2001	50.69
13.31% सरकारी स्टॉक, 2001	848.03
13.55% सरकारी स्टॉक, 2001	2000.00
11.47% सरकारी स्टॉक, 2001	1500.00
5.75% एन.डी. ऋण, 2001	47.16
जोड़	26499.46

2. अल्पावधिक उधार (182/364 दिवसीय राजकोषीय हुंडियां):

ये राजकोषीय हुंडिया वित्तीय संस्थाओं (जैसे बैंक इत्यादि) और अन्य पक्षों को अल्पावधिक निवेश अवसर प्रदान करती हैं। 364 दिवसीय राजकोषीय हुंडिया वर्ष 1992-93 से शुरू की गई थीं जबकि 182 दिवसीय राजकोषीय हुंडिया वर्ष 1999-2000 से पुनः शुरू की गई है। इन हुंडियों की शुरुआत सरकारी प्रतिभूतियों के लिए बाजार का विकास करने के लिए की गई थी। इन हुंडियों का भारतीय रिजर्व बैंक के पास पुनर्बट्टा नहीं किया जा सकता। ये हुंडियां मुम्बई में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नीलामी आधार पर आवधिक रूप से बिक्री के लिए पेश की जाती हैं। 364 दिवसीय राजकोषीय हुंडिया बाजार ऋणों का हिस्सा होती हैं।

3. विदेशी सहायता:

बजट 2000-2001 में विदेशी सहायता (विदेशी अनुदानों को छोड़कर) से 9129.23 करोड़ रुपए की सकल प्राप्ति का अनुमान लगाया गया है। इसके मुकाबले 2000-2001 के संशोधित अनुमान में 10494.77 करोड़ रुपए प्राप्त होने का अनुमान लगाया गया है। 2001-2002 के बजट में 11463.10 करोड़ रुपए की सकल प्राप्ति होने का अनुमान है।

2000-2001 के बजट में वापसी-अदायगियों के लिए 9173.37 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है जबकि संशोधित अनुमानों में 9920.39 करोड़ रुपए की वापसी की व्यवस्था की गई है। 2001-2002 में वापसी-अदायगियों के लिए 9598.25 करोड़ रुपए का अनुमान लगाया गया है।

इस प्रकार विदेशी सहायता से होने वाली निवल प्राप्तियों की राशि 2000-2001 के संशोधित अनुमानों में 574.38 करोड़ रुपए दिखाई गई है। बजट अनुमान 2001-2002 में निवल प्राप्तियां 1864.85 करोड़ रुपए होने का अनुमान है।

2000-2001 तथा 2001-2002 में विदेशी सहायता की प्राप्तियों और मूलधन की वापसी-अदायगियों के अनुमान का सारांश नीचे दिया गया है:

	बजट 2000-2001	संशोधित 2000-2001	बजट 2001-2002
(करोड़ रुपए)			
क. प्राप्तियां			
(i) विदेशी ऋण	8468.03	9911.65	10763.35
(ii) परिक्रामी निधि के अन्तर्गत प्राप्तियां	661.20	583.12	699.75
जोड़-प्राप्तियां:	9129.23	10494.77	11463.10
ख. वापसी-अदायगियां	(-) 9173.37	(-) 9920.39	(-) 9598.25
निवल प्राप्तियां	(-) 44.14	574.38	1864.85

अधिक ब्यौरे इस दस्तावेज के अनुबंध 5 में दिए गए हैं।

4. ऋणों और अग्रिमों की वसूलियां

केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्रों (विधानमंडल वाले) और गैर-सरकारी पक्षों को दिए गए ऋणों तथा अग्रिमों की वसूली का अनुमान इस प्रकार है:-

वसूलियां:

(i) राज्य सरकारों से	10517.58	11317.58	10636.73
(ii) संघ राज्य क्षेत्रों से (विधानमंडल वाले)	169.49	137.81	174.25
(iii) अन्य से	2851.93	3429.61	4352.70
(क) विदेशी सरकारों से	68.81	50.80	52.80
(ख) सरकारी क्षेत्र के उद्यमों सांविधिक निकायों आदि से	2783.12	3378.81	4299.90
जोड़-ऋणों और अग्रिमों की वसूलियां	13539.00	14885.00	15163.68
(क) राज्य सरकारों से वसूलियों में अल्पावधिक अर्थोपाय अग्रिम सम्मिलित नहीं हैं	2000.00	2500.00	2000.00
(ख) गैर-सरकारी पक्षों से वसूलियों में सरकारी कर्मचारियों आदि से वसूलियां सम्मिलित नहीं हैं जिन्हें व्यय में से घटाया जाता है	300.00	300.00	325.00

(i) (क) और (ख):- सरकार द्वारा यथा-स्वीकृत आठवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसरण में 1983-84 तक राज्य सरकारों को दिए गए केन्द्रीय ऋणों और 1984-85 के अन्त में बकाया ऋणों को समेकित किया गया है। समेकन के प्रयोजनों हेतु वित्त आयोग ने 1978-79 तक दिए गए ऋणों और 1979-84 के दौरान दिए गए ऋणों को भिन्न-भिन्न रूपों में माना था। हालांकि कुछ राज्यों के मामले में 1979 से पहले दिए गए ऋणों की शर्तों में किसी परिवर्तन की सिफारिश नहीं की गई है, फिर भी दूसरों के मामले में इन ऋणों को 25 वर्षीय ऋणों के रूप में या 30 वर्षीय ऋणों के रूप में समेकित किए जाने की सिफारिश की गई है। जहां तक 1979-84 के दौरान दिए गए ऋणों का संबंध है, सभी राज्यों के मामले में इन्हें 15 वर्षों से लेकर 30 वर्षों की अवधि वाले ऋणों के रूप में समेकित किया गया है। नौवें वित्त आयोग ने 1989-90 के लिए अपनी पहली रिपोर्ट तथा 1990-95 के लिए दूसरी रिपोर्ट में तथा दसवें वित्त आयोग और ग्यारहवें वित्त आयोग ने अपनी रिपोर्ट में इन समेकित ऋणों के संबंध में किसी परिवर्तन की सिफारिश नहीं की है।

(ग) सरकार द्वारा यथा-स्वीकृत वर्ष 1990-95 की अवधि के लिए नौवें वित्त आयोग की दूसरी रिपोर्ट में दी गई सिफारिशों के अनुसरण में 1984-89 के दौरान राज्य सरकारों को दिए गए राज्य आयोजना ऋणों तथा 1989-90 के अन्त में बकाया ऋणों को 15 वर्षीय ऋणों में समेकित किया गया है। दसवें वित्त आयोग ने और ग्यारहवें वित्त आयोग ने इन समेकित ऋणों के संबंध में किसी परिवर्तन की सिफारिश नहीं की है।

(घ) सरकार द्वारा यथा-स्वीकृत वर्ष 1990-95 की अवधि के लिए नौवें वित्त आयोग की दूसरी रिपोर्ट में दी गई सिफारिशों के अनुसरण में 1986-87 तक संघ राज्य क्षेत्रों के रूप में गोआ तथा मिजोरम सरकार द्वारा आयोजनाओं के लिए प्राप्त किए गए अतिरिक्त केन्द्रीय ऋणों को बड़े साते में डालने के उपरान्त 31.3.1990 को यथा-विद्यमान शेष बकाया राशियों को 15 वर्षीय ऋणों में समेकित किया गया है।

(ङ) इन अनुमानों का संबंध 1984-85 से 1989-90 की अवधि हेतु राज्य आयोजना स्कीमों के लिए दिए गए ऋणों को छोड़कर 1984-85 से मंजूर किए गए अन्य ऋणों से है जिन्हें समेकित किया गया था (उपर्युक्त (ग) देखें)। हालांकि 2000-2001 के मूल बजट अनुमानों तथा संशोधित अनुमानों का संबंध 1984-85 से 1997-98 के दौरान आयोजना तथा आयोजना-भिन्न प्रयोजनों के लिए दिए गए ऋणों के संबंध में की गई वसूलियों से है, फिर भी बजट 2001-2002 उन वर्षों के दौरान दिए गए ऋणों तथा 1998-99 के दौरान भी दिए गए ऋणों पर आधारित है।

1990-91 से आगे की राज्य आयोजनाओं के लिए मंजूर किए गए ऋणों की परिपक्वता अवधि 20 वर्षों की होगी, जिसकी वापसी-अदायगी 20 समान वार्षिक किश्तों में की जाएगी। तथापि, इनके पचास प्रतिशत ऋणों को पांच वर्ष की आरम्भिक रियायत अवधि मिलेगी जिसके उपरान्त इन ऋणों की वापसी-अदायगी 15 समान वार्षिक किश्तों में की जाएगी। दसवें वित्त आयोग ने 1995-2000 के लिए अपनी रिपोर्ट में इन ऋणों के संबंध में किसी परिवर्तन की सिफारिश नहीं की है।

(च) लघु बचत ऋण भी उन ऋणों में आते हैं जो आठवें वित्त आयोग के समेकन की स्कीम में शामिल नहीं है। इन ऋणों की वसूली, जिसे पहले रोक दिया गया था, 1985-86 से फिर शुरू कर दी गई है। नौवें दसवें और ग्यारहवें वित्त आयोग ने लघु बचत संग्रहणों के एवज में केन्द्रीय ऋणों से संबंधित मौजूदा शर्तों में किसी परिवर्तन का सुझाव नहीं दिया है।

मूलधन की वापसी-अदायगी के लिए इन ऋणों पर 5 वर्षों का अधिस्थगन काल होगा और वापसी-अदायगी की अवधि अधिस्थगन काल सहित 25 वर्षों की है। अगले वर्ष में वृद्धि 1992-93 में दिए गए ऋणों की वापसी-अदायगी की किश्त शुरू होने के कारण है।

(छ) दसवें वित्त आयोग ने प्रत्येक राज्य के राजकोषीय निष्पादन से जुड़ी ऋण राहत के लिए एक स्कीम की सिफारिश की है। आयोग की अवार्ड अवधि के दौरान स्वीकार्य ऋण राहत को राज्य के राजकोषीय निष्पादन के साथ जोड़ा गया है। राजकोषीय निष्पादन में सुधार को किसी वर्ष में राजस्व प्राप्तियों (केन्द्र से अन्तरण और अनुदानों सहित) के अनुपात की कुल राजस्व व्यय से तुलना करके मापा जाता है, जिसमें तीन तत्काल पूर्ववर्ती वर्षों के इसी माप का औसत निकाला जाता है। 1989-95 के दौरान राज्यों को दिए गए केन्द्रीय ऋणों के संबंध में देय होने वाली वापसी अदायगी के एक निश्चित प्रतिशत (शून्य से लेकर 10 प्रतिशत तक) को बट्टे-खाते डालने के रूप में और 31 मार्च, 1995 को बकाया ऋण राहत दी जानी है। राहत का प्रतिशत राजकोषीय सुधार के प्रतिशत का दुगना होगा। 1999-2000 के दौरान देय राहत 2000-2001 में दी जानी है।

ग्यारहवें वित्त आयोग ने दसवें वित्त आयोग द्वारा संस्तुत ऋण राहत की स्कीमों को जारी रखने की सिफारिश की है और अपनी अवार्ड अवधि के दौरान राज्यों के लिए प्रोत्साहन में वृद्धि की है। इसने सिफारिश की है कि किसी राज्य की राजस्व प्राप्तियों के परिकलन में राजस्व घाटा अनुदानों को शामिल नहीं किया जाना चाहिए। राहत का प्रतिशत राजकोषीय सुधार के प्रतिशत का पांच गुणा होगा। 1994-99 के दौरान राज्यों को दिए गए केन्द्रीय ऋणों के सम्बन्ध में देय होने वाली वापसी अदायगी के शून्य से पच्चीस प्रतिशत के बीच और 31 मार्च 1999 को बकाया की ऋण राहत दी जानी है।

(ज) यह वसूली उड़ीसा सरकार को हीराकुड चरण-I के लिए दिए गए ऋणों से संबंधित है, जिन्हें समेकित स्कीम में शामिल नहीं किया जाता।

वर्ष 2000-2001 के लिए संशोधित अनुमान में राज्यों को ऋण राहत के संबंध में दसवें वित्त आयोग की सरकार द्वारा यथास्वीकृत सिफारिशों को हिसाब में लिया गया है। इसके अतिरिक्त, यह भी निर्णय लिया गया है कि वर्ष 1984-85 से 1993-94 तक पंजाब सरकार को दिए गए विशेष आवधिक ऋण के संबंध में वर्ष 1997-98, 1998-99 और 1999-2000 के लिए शेष अदत्त किस्तों के लिए पंजाब राज्य सरकार की वापसी-अदायगी देनदारी को माफ कर दिया जाए। संशोधित अनुमान 2000-2001 में 759.35 करोड़ रुपए की माफी शामिल है।

(ii) **संघ राज्यक्षेत्रों (विधान-मंडल सहित) से वसूलियां:** ये वसूलियां संघ राज्यक्षेत्र पांडिचेरी और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली को दिए गए ऋणों के सम्बन्ध में हैं।

(iii) **अन्यों द्वारा वापसी-अदायगी:** संशोधित अनुमान, 2000-2001 में राज्य तथा संघ शसित प्रदेशों की सरकारों को छोड़कर अन्य पार्टियों, अर्थात् विदेशी सरकारों, सरकारी क्षेत्र के औद्योगिक और वाणिज्यिक उपक्रमों तथा वित्तीय संस्थाओं, नगरपालिकाओं, पत्तन न्यासों तथा निजी क्षेत्र की कम्पनियों और संस्थाओं, सहकारी समितियों आदि से ऋणों की वसूलियों के रूप में 3429.61 करोड़ रुपए की प्राप्ति का अनुमान लगाया गया है। 2001-2002 के दौरान 4352.70 करोड़ रुपए की वापसी-अदायगियों का अनुमान लगाया गया है। इनका विस्तृत ब्यौरा इस प्रकार है:-

	बजट 2000-2001	संशोधित 2000-2001	(करोड़ रुपए) बजट 2001-2002
(क) विदेशी सरकारें	68.81	50.80	52.80
(ख) सरकारी क्षेत्र के उद्यम, सांविधिक निकाय, आदि	2783.12	3378.81	4299.90
जोड़	2851.93	3429.61	4352.70

5. सरकारी क्षेत्र के उद्यमों और विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों में इक्विटी धारिताओं का विनिवेश

ये प्राप्तियां सार्वजनिक क्षेत्र के चुनिंदा उद्यमों की इक्विटी पूंजी में केन्द्रीय सरकार, की धारिताओं के आंशिक विनिवेश के कारण हैं।

6. (क) राष्ट्रीय लघु बचत निधि

(i) **राष्ट्रीय लघु बचत निधि:** भारतीय लोक लेखा में 1.4.1999 से एक "राष्ट्रीय लघु बचत निधि" (एनएसएसएफ) की स्थापना की गई है। सरकारी खातों के मुख्य और लघु शीर्षों की सूची में "राष्ट्रीय लघु बचत निधि" नामक एक नया उप-क्षेत्र शुरू किया है। सभी लघु बचत संग्रहण (लोक भविष्य निधि सहित) इस निधि में जमा किए जाते हैं। इसी प्रकार जमाकर्ताओं द्वारा लघु बचत योजनाओं के तहत सभी आहरण इस निधि में जमा राशि से किए जाते हैं। इस निधि में शेष राशि का केन्द्रीय और राज्य सरकारों की प्रतिभूतियों में निवेश किया जाता है। निवेश पद्धति भारत सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित मानदंडों के अनुसार है। वर्ष 2000-2001 से राष्ट्रीय लघु बचत निधि द्वारा निवल संग्रहणों (सकल संग्रहण में जमाकर्ताओं द्वारा निकासियों को घटाकर) का 80 प्रतिशत और 20 प्रतिशत क्रमशः राज्य और केन्द्र सरकारों द्वारा जारी विशेष प्रतिभूतियों में निवेश किया जा रहा है। इन सरकारी प्रतिभूतियों का ऋणशोधन निधि की आय है जबकि ब्याज की लागत और लघु बचत स्कीमों का प्रबंधन निधि का व्यय है।

(ii) केन्द्र सरकार द्वारा एनएसएसएफ को जारी विशेष प्रतिभूतियां भारत सरकार के आन्तरिक ऋण का हिस्सा होंगी।

(iii) वर्ष 2000-01 के दौरान सम्बन्धित सरकारों द्वारा जारी इन विशेष प्रतिभूतियों पर 12.5 प्रतिशत वार्षिक की दर पर ब्याज दिया जाना है।

निवल लघु बचत संग्रहणों में राज्यों का हिस्सा: इस समय प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्र (विधानमंडल युक्त) में लघु बचत स्कीमों के तहत निवल संग्रहणों का 80 प्रतिशत राज्यों की प्रतिभूतियों में निवेश किया जाता है।

इसके अतिरिक्त, स्थिर दीर्घवधि बचतों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यदि राज्य में निवल लघु बचत संग्रहणों का प्रतिशत अखिल भारतीय प्रतिशत से 5 प्रतिशत से अधिक है, तो राज्य की विशेष प्रतिभूतियों में अतिरिक्त निवेश किया जाता है। यह अतिरिक्त निवेश अखिल भारतीय प्रतिशत की तुलना में राज्य में प्रत्येक 5 प्रतिशत के लिए राज्य में निवल संग्रहणों के 2.5 प्रतिशत तक है।

(vi) राष्ट्रीय लघु बचत निधि के स्रोत और उपयोग नीचे दी गई सारणी में दर्शाए गए हैं:-

सारणी-1

31 मार्च, 2001 की स्थिति के अनुसार राष्ट्रीय लघु बचत निधि का स्रोत तथा उपयोग

(करोड़ रुपए)

	1999-2000 (अनन्तिम वास्तविक)	2000-2001 (स. अ.)	2001-2002 (ब. अ.)
निधियों के स्रोत			
बचत जमा राशियाँ			
1 अप्रैल की स्थिति के अनुसार बकाया देयताएं	47124.54	60638.67	77708.67
वर्ष के दौरान देयताओं में वृद्धि	13514.13	17070.00	19010.00
बचत प्रमाण-पत्र			
1 अप्रैल की स्थिति के अनुसार बकाया देयताएं	104832.43	122246.23	139136.23
वर्ष के दौरान देयताओं में वृद्धि	17413.80	16890.00	19250.00
लोक भविष्य निधि			
1 अप्रैल की स्थिति के अनुसार बकाया देयताएं	24263.95	31906.54	40946.54
वर्ष के दौरान देयताओं में वृद्धि	7642.59	9040.00	8740.00
कुल जमा राशियाँ	214791.44	257791.44	304791.44
निधियों का उपयोग			
दिनांक 31.3.1999 की स्थिति के अनुसार बकाया शेष राशियों			
पर केंद्र सरकार की विशेष प्रतिभूतियों में निवेश			
1 अप्रैल की स्थिति के अनुसार निवेश	...\$	176220.92	176220.92
वर्ष के दौरान अतिरिक्त निवेश	176220.92	...	...
दिनांक 1.4.1999 से संग्रहित राशियों पर केन्द्र सरकार की विशेष प्रतिभूतियों में निवेश			
1 अप्रैल की स्थिति के अनुसार निवेश	...\$	8978.88	16928.70
वर्ष के दौरान अतिरिक्त निवेश	8978.88	7949.82	9000.00
दिनांक 1.4.1999 से संग्रहणों पर राज्य सरकार की विशेष प्रतिभूतियों में निवेश			
1 अप्रैल की स्थिति के अनुसार निवेश	...\$	26936.65	58735.93
वर्ष के दौरान अतिरिक्त निवेश	26936.65	31799.28	36000.00
प्रतिभूतियों में कुल निवेश	212136.45	251885.55	296885.55
बकाया आय/व्यय लेखा	1681.68	3891.44	2953.32
नकद बकाया	973.31	2014.45	4952.57
जोड़	214791.44	257791.44	304791.44

\$ अग्रेनीत बकाया राशि "शून्य" है क्योंकि राष्ट्रीय लघु बचत निधि 1.4.1999 से स्थापित की गयी है।

(vii) राष्ट्रीय लघु बचत निधि के विभिन्न संघटकों अर्थात् (रा.ल.ब.नि. की प्राप्ति, संवितरण, निवेश आय और व्यय) के बारे में ब्यौरा वर्ष 1999-2000 के "वास्तविक" (अनन्तिम) ब.अ. और स.अ. 2000-01 तथा ब.अ. 2001-02 में दिया गया है और जिन्हें अनुबंध -12 में सारणीबद्ध किया गया है।

(viii) **लघु बचत योजनाएं**- वर्तमान में जो लघु बचत योजनाएं चल रही हैं, वे डाकघर बचत खाते, डाकघर सावधि जमा, डाकघर आवर्ती जमा, राष्ट्रीय बचत योजना 1992, डाकघर मासिक आय खाता, राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र viii निर्गम, किसान विकास पत्र और लोक भविष्य निधि हैं।

6. (ख) सेवा निवृत्त होने वाले कर्मचारियों के लिए जमा योजना

सेवानिवृत्त/सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के लिए दो गैर-सांविधिक जमा योजनाएं हैं, अर्थात्-सेवा निवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए जमा योजना तथा सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों के सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के लिए जमा योजनाएं, जिन्हें भारत सरकार द्वारा संचालित किया जा रहा है। इन योजनाओं के अधीन 2001-2002 में सकल और निवल संग्रहणों के बजट अनुमान 250 और 200 करोड़ रुपए हैं। संशोधित अनुमान में सकल संग्रहण और निवल संग्रहण क्रमशः 200 करोड़ रुपए और 170 करोड़ रुपए रखे गए हैं।

सारणी 2

(करोड़ रुपए)

	वास्तविक: 1999-2000 (अनन्तिम)	2000-2001 (स. अ.)	2001-2002 (ब. अ.)
सकल	107.24	200	250
निवल	82.61	170	200

7. राज्य भविष्य निधियाँ: इस शीर्ष के अन्तर्गत दिखाए जाने वाले लेनदेन सरकारी कर्मचारियों की विभिन्न भविष्य निधियों से सम्बद्ध होते हैं। परिकल्पित क्रेडिट निधियों में जमा की गई राशि ब्याज सहित तथा उसमें से निकासियों/अस्थायी अग्रिमों की कम की गई निवल राशि है। पहली अप्रैल, 2000 से जमा रकमों पर 11 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज दिया जाता है। 2000-2001 के बजट में इन निधियों में कुल 7500 करोड़ रुपए की निवल प्राप्ति का अनुमान था जिसकी तुलना में संशोधित अनुमान 8500 करोड़ रुपए है। वर्ष 2001-2002 के बजट में 9500 करोड़ रुपए की निवल प्राप्ति आंकी गई है।

8. विशेष जमा योजनाएं: गैर-सरकारी भविष्य निधियों, अधिवर्षिता और उपदान निधियों और जीवन बीमा निगम, कर्मचारी राज्य बीमा निगम आदि की अधिशेष निधियों से सरकार के पास विशेष जमाओं में प्राप्त राशियाँ संशोधित अनुमान 2000-2001 में 9215.27 करोड़ रुपए होने का अनुमान लगाया गया था। बजट अनुमान 2000-2001 में इस मद में 10252.57 करोड़ रुपए की निवल वृद्धि का अनुमान लगाया गया है।

9. **अन्य प्राप्तियां:** इनके अन्तर्गत अन्य निधियों और खातों, जमाारशियां आदि शीर्षों के अन्तर्गत होने वाले लेनदेनों के निवल प्रभाव को प्रदर्शित किया जाता है। इनमें सम्मिलित कुछ मदें इस प्रकार हैं:

(i) **राहत बांड:** 10% राहत बाण्ड, 1993 को 15 मार्च, 1993 से शुरू किया गया जिसने 9% राहत बाण्ड 1987 को प्रतिस्थापित किया। ब्याज-दरों में सामान्य गिरावट होने से 10% राहत बाण्डों का निर्गम बंद कर दिया गया और 9% राहत बाण्ड, 1993 की नई श्रृंखला 2.9.1993 से आरंभ की गई। तथापि, 1995-96 में ब्याज दरों की सामान्य वृद्धि को ध्यान रखते हुए 10% राहत बांड, 1995 की एक नई श्रृंखला 4.10.1995 में शुरू की गई। इसके अलावा कुछ लघु बचत पत्रों के मामले में ब्याज दर कम किये जाने के अनुरूप राहत बाण्डों में ब्याज दर 1 प्रतिशत कम कर दी गई और 1.1.1999 से 9 प्रतिशत राहत बाण्ड, 1999 नामक एक नई श्रृंखला शुरू की गई। यह व्यक्तियों और हिन्दू अविभाजित परिवार के लिए बिना किसी सीमा के निवेश हेतु खुली है। व्यक्तियों द्वारा बाण्डों की संयुक्त धारिता की अनुमति है। बाण्डों पर कर-मुक्त ब्याज मिलता है और उनकी परिपक्वता अवधि 5 वर्ष है। 2000-2001 के बजट अनुमान में, वापसी-अदायगियां घटाकर, बाण्डों की बिक्री 2250 करोड़ रु. तक होने का अनुमान था। इसकी तुलना में, 2000-2001 के संशोधित अनुमान में 3000 करोड़ रु. की व्यवस्था की गई है। बजट अनुमान 2001-2002 में भी 3000 करोड़ रुपये की निवल प्राप्ति का अनुमान है।

(ii) **रेलवे प्रारक्षित निधियां:**

(करोड़ रुपए)

	बजट 2000-2001	संशोधित 2000-2001	बजट 2001-2002
रेलवे पेंशन निधि			
जमा	5313.96	5167.00	6012.33
नामे	5313.96	5167.00	5800.00
निवल	...	...	(+) 212.33
रेलवे मूल्यह्रास प्रारक्षित निधि			
जमा	2582.00	2298.00	2811.06
नामे	2582.00	2298.00	2704.00
निवल	...	...	(+) 107.06
रेलवे विकास निधि			
जमा	831.03	722.32	511.03
नामे	831.00	595.00	511.00
निवल	(+) 0.03	(+) 127.32	(+) 0.03
रेलवे पूंजीगत निधि			
जमा	598.72	300.72	18.91
नामे	598.72	300.72	17.43
निवल	...	...	(+) 1.48
रेलवे सुरक्षा निधि			
जमा	...	...	311.77
नामे	...	...	300.00
निवल	...	...	(+) 11.77
जोड़	(+) 0.03	(+) 127.32	(+) 332.67

(क) **रेलवे पेंशन निधि:** रेलवे पेंशन निधि रेलवे कर्मचारियों के पेंशन प्रभारों को पूरा करने के लिए अभिप्रेत है। हर साल इस निधि में उपयुक्त रकम अन्तरित की जाती है और यह रकम राजस्व और पूंजी व्यय शीर्षों में नामे डाल दी जाती है। पेंशन संबंधी प्रभारों को शुरू में राजस्व शीर्षों के भाग के रूप में पूरा किया जाता है और बाद में निधि से उसकी भरपाई की जाती है। वर्ष 2000-2001 में निधि में 5167.00 करोड़ रुपए की रकम जमा होने का अनुमान है जिसमें निधि की बकाया रकमों पर सामान्य राजस्व द्वारा देय ब्याज के रूप में 5.15 करोड़ रुपए शामिल था। निधि से 5167.00 करोड़ रुपए निकाले जाने का अनुमान था। वर्ष 2001-2002 के दौरान इस निधि में 12.33 करोड़ रुपए के ब्याज सहित 6012.33 करोड़ रुपए की रकम जमा होने का अनुमान है। इसकी तुलना में 5800.00 करोड़ रुपए की रकम की निकासी का अनुमान है।

(ख) **रेलवे मूल्यह्रास प्रारक्षित निधि:** इस निधि में सुधारात्मक कार्यों सहित परिसम्पत्तियों के प्रतिस्थापन और नवीकरण की व्यवस्था की जाती है। अनुमान है कि इस निधि में 2000-2001 में सामान्य राजस्व से ब्याज की अदायगी सहित अंशदान तथा बहिर्गमन 2298.00 करोड़ रुपए का होने का अनुमान है। 2001-2002 के संबंध में क्रेडिट 2811.00 करोड़ रुपए होने का अनुमान है जिसमें ब्याज से संबंधित 3.43 करोड़ रुपए शामिल है। निकासी 2704.00 करोड़ रुपए होने का अनुमान है।

(ग) **रेलवे विकास निधि:** रेलवे विकास निधि की स्थापना 1950 में रेलवे अभिसमय समिति, 1949 की सिफारिशों के आधार पर की गई थी जिसका उद्देश्य यात्रियों के लिए और रेलों का उपयोग करने वाले अन्य लोगों के लिए सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए किए जाने वाले सभी निर्माण कार्यों का स्वर्च, श्रमिक कल्याण कार्य संबंधी स्वर्च तथा उन सभी अलाभकारी सुधार कार्यों का स्वर्च पूरा करना है, जिनमें से प्रत्येक कार्य के लिए निर्धारित सीमा से अधिक स्वर्च होता है। दिनांक 1.4.93 से दुर्घटना क्षतिपूर्ति और यात्री सुविधा निधि को समाप्त किए जाने के परिणाम स्वरूप ए.सी.एस.पी.एफ. को प्रभार्य सुरक्षा और यात्री सुविधा कार्यों को भी अब रेलवे विकास निधि में प्रभारित किया जाता है। इस निधि के लिए धन की व्यवस्था रेलों के आधिक्य, यदि कोई हो, के उस भाग के विनियोग से की जाती है, जिसका सरकार द्वारा निर्धारण किया जाता है और जिसकी स्वीकृति संसद द्वारा दी जाती है। यदि रेलवे आधिक्य के एक भाग की रकम निधि में अंतर्गत करने के बाद इस निधि में इकट्ठी होने वाली रकम उन कार्यों के स्वर्चों को पूरा करने के लिए काफी न हो जिसका स्वर्च इस निधि से पूरा किया जाता है, तो निधि में जमा करने के लिए सामान्य राजस्व निधि से ब्याज पर ऋण लिए जाते हैं। वर्ष 2000-2001 के दौरान रेलवे विकास निधि को 722.32 करोड़ रुपए के क्रेडिट का अनुमान लगाया गया था, 717.99 करोड़ रुपए वर्ष 2000-2001 में अधिक हुई अनुमानित राशि में से और 4.33 करोड़ रुपए निधि में शेष राशि पर सामान्य राजस्व द्वारा देय ब्याज के रूप में होगा। वर्ष 2000-2001 के दौरान निधि में से निकाली गई राशियां अनुमानतः 595.00 करोड़ रुपए हैं। 127.32 करोड़ रुपए की निवल वृद्धि मुख्यतः सरकार से केन्द्रीय सड़क निधि के हिस्से के रूप में प्राप्त सुरक्षा अनुदान के कारण है। इसे दिनांक 1.4.2001 से स्थापित की जा रही नव सृजित रेलवे सुरक्षा निधि में अंतर्गत किया जाएगा। 2001-2002 के दौरान निधि में क्रेडिट 511.03 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए थे, 511 करोड़ रुपए 2001-2002 में अधिक होने वाली अनुमानित राशि में से और 0.03 करोड़ रुपए निधि में शेष राशि पर देय ब्याज के रूप में होगा। वर्ष 2001-2002 के दौरान निकाली गई राशियां 511 करोड़ रुपए होने का अनुमान लगाया गया है जिसमें निधि को प्रभार्य कार्य शामिल होंगे।

(घ) **रेलवे पूंजी निधि:** को 1992-93 से आरम्भ किया गया था। इस निधि का सृजन इसलिए किया गया है कि रेलवे के आधारभूत ढांचे का निर्माण करने के लिए रेलवे आन्तरिक रूप से सृजित संसाधनों के एक भाग का उपयोग कर सकें। पूंजीगत निधि का वित्तपोषण करने में रेलवे राजस्वों के कम पड़ने की स्थिति में निधि में क्रेडिट करने हेतु सामान्य राजस्व से सब्याज ऋण लिया जाता है। वर्ष 2000-2001 के दौरान निधि में जमा राशि 300.72 करोड़ रुपये होने का

अनुमान है और उसमें सामान्य राजस्व से ऋण के रूप में लिए गए 249.00 करोड़ रुपए और ब्याज के रूप में ली गयी 1.73 करोड़ रुपए की राशि शामिल है। इसकी तुलना में वर्ष के दौरान निकासी 300.72 करोड़ रुपये होने का अनुमान है। 2001-2002 में निधि में जमा राशि 18.91 करोड़ रुपए है जिसमें निधि की बकाया राशि पर देय ब्याज के 1.48 करोड़ रुपए शामिल है। 17.43 करोड़ रुपए की निकासी होने का अनुमान है।

(ड) रेलवे सुरक्षा निधि: इसकी स्थापना व्यक्ति की तैनाती रहित लेबल क्रासिंग के परिवर्तन और अत्यधिक यातायात वाले लेवल क्रासिंगों में रेलवे पुलों के निर्माण से संबंधित सुरक्षा कार्यों के वित्त पोषण के लिये दिनांक 1.4.2001 से की गई है। इस निधि का वित्तपोषण रेलवे राजस्वों अर्थात् सामान्य राजस्वों के लाभांश भुगतान के बाद बच गई अतिरिक्त धनराशि, केंद्रीय सड़क निधि से सरकार द्वारा निधियों के अंतरण और सामान्य राजस्वों को भुगतान किये जा रहे लाभांश से रेलवे सुरक्षा निर्माण कार्यों के लिए इस समय किये जा रहे अंशदान से किया जाएगा। इस निधि में 2001-2002 के दौरान जमा राशि 311.77 करोड़ रुपए रक्षी गई है जिसमें निधि में बकाया राशि पर देय ब्याज के 9.01 करोड़ रुपए भी शामिल है। निधि से 300.00 करोड़ रुपए के आहरण किये जाने का अनुमान है।

(iii) दूरसंचार प्रारक्षित निधि:

	बजट 2000-2001	संशोधित 2000-2001	बजट 2001-2002
(करोड़ रुपए)			
दूरसंचार राजस्व प्रारक्षित निधि			
जमा	10.77	4.84	...
नामे	...	...	...
निवल	10.77	4.84	...
पूँजी प्रारक्षित निधि			
जमा	10537.44	4965.14	...
नामे	10537.00	5310.26	...
निवल	0.44	(-) 345.12	...
जोड़	11.21	(-) 340.28	...

चूंकि दूरसंचार सेवा विभाग का 1 अक्टूबर, 2000 से निगमीकरण कर दिया गया है, अतः वर्ष 2001-2002 से प्रारक्षित निधि का प्रचालन नहीं किया जाएगा। इस निधि की अधिशेष राशि दिनांक 30.9.2000 को बीएसएनएल को अंतरित भारत सरकार की परिसम्पत्ति का हिस्सा बन जाएगी।

(क) दूरसंचार-राजस्व प्रारक्षित निधि: विभाग के कार्यकारी परिणाम में अधिशेष के एक हिस्से को इस निधि में अंतरित कर दिया जाता है। यदि विभाग सामान्य राजस्व के लिए देय लाभांश की अदायगी चालू राजस्व में से न कर सके तो इस अदायगी को पूरा करने के लिए निधि में से इसी रकम की निकासी कर ली जाती है। विभाग के कार्यचालन के परिणामों में होने वाले घाटों को, यदि कोई हो, पूरा करने के लिए भी इस निधि में से निकासी की जाती है।

सं.अ. 2000-2001 में इस निधि में कोई विनियोग प्रस्तावित नहीं है। किन्तु सामान्य राजस्व से ब्याज के रूप में 4.84 करोड़ रुपए की राशि इस निधि में जमा की जाएगी। चूंकि सी-डाट के व्यय को डीटीएस के कार्य व्यय में शामिल किया गया था तथा दिनांक 30.9.2000 तक आई.टी.आई/एचटीएल को कोई क्षतिपूर्ति राशि अदा नहीं की गई थी, अतः वर्ष 2000-2001 में कोई राशि नामे नहीं डाली जा रही है।

(ख) दूर-संचार पूँजी प्रारक्षित निधि: इस निधि का वित्तपोषण विभाग के पूँजीगत लेखों में आयोजनागत व्यय को पूरा करने के लिए दूरसंचार सेवा विभाग के चालू अधिशेष के पर्याप्त हिस्से का अंतरण करके किया जाता है

वर्ष 2000-2001 के दौरान इस निधि में 4965.14 करोड़ रुपए दिए जाने का अनुमान था, जिनमें सामान्य राजस्व से 99.18 करोड़ रुपए की ब्याज राशि भी सम्मिलित थी। वर्ष 2000-2001 में इस निधि में से 5310.26 करोड़ रुपए की निकासी किये जाने का अनुमान था। वर्ष 2001-2002 से इस निधि को प्रचालित नहीं किया जाएगा क्योंकि दूर-संचार सेवा विभाग का 1 अक्टूबर, 2000 से निगमीकरण कर दिया गया है। दिनांक 30.9.2000 की स्थिति के अनुसार इस निधि में अधिशेष राशि बीएसएनएल को अंतरित भारत सरकार की परिसम्पत्ति का हिस्सा होगी।

(iv) अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएँ

(क) अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं में भारत के अभिदान/अंशदान के लिए जारी की गई विशेष प्रतिभूतियों तथा (ख) अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ हुए कतिपय लेनदेन, जिनमें विशेष आहरण अधिकारों का उपयोग अंतर्निहित है, संबंधी अनुमान इस प्रकार हैं:

(करोड़ रुपए)

	बजट 2000-2001			संशोधित 2000-2001			बजट 2001-2002		
	प्राप्तियाँ	भुगतान	निवल	प्राप्तियाँ	भुगतान	निवल	प्राप्तियाँ	भुगतान	निवल
1. अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष	980.51	111.40	869.11	806.24	207.96	598.28	...	...	...
2. अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक	0.01	35.00	-34.99	0.01	37.60	(-) 37.59	0.01	37.60	(-) 37.59
3. अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ	...	0.01	-0.01	...	...	...	...	0.56	(-) 0.56
4. अन्तर्राष्ट्रीय कृषि विकास निधि	0.01	6.00	-5.99	0.01	5.91	(-) 5.90	0.01	6.00	-5.99
5. एशियाई विकास बैंक	19.00	5.20	13.80	21.00	1.80	19.20	20.00	5.00	15.00
6. अफ्रीकी विकास निधि और अफ्रीकी विकास बैंक	8.73	...	8.73	8.77	1.14	7.63	8.77	3.12	5.65
जोड़	1008.26	157.61	850.65	836.03	254.41	581.62	28.79	52.28	-23.49
एस.डी.आर.	1232.51	1227.95	4.56	1098.95	1054.18	44.77	176.03	171.24	4.79

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष: कोष के करार-पत्र के मूल्य अनुरक्षण उपबंधों के अन्तर्गत सदस्यों द्वारा सामान्य संसाधन स्वाते में धारित मुद्राओं के मूल्य को विशेष आहरण अधिकार (एस.डी.आर.) के रूप में बनाए रखना जरूरी है और इस उपबन्ध के अनुसार कोष में किसी सदस्य की मुद्रा की धारिता में उस समय समायोजन किया जाता है जब किसी प्रचालन में उस मुद्रा का प्रयोग हो या कोष तथा दूसरे सदस्य के बीच लेन-देन हो अथवा जब कोष ऐसा करने का निर्णय करे या सदस्य ऐसा करने का अनुरोध करे। 30 अप्रैल, 2000 की स्थिति के अनुसार, कोष की भारतीय मुद्रा-धारिताओं के पुनः मूल्यांकन के परिणामस्वरूप (30 अप्रैल, 2000 से लागू 1 रुपया = 0.0173621 एसडीआर की प्रतिनिधि दर के आधार पर) भारत द्वारा निधि में 96.87 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है और अंतर्राष्ट्रीय मुद्राकोष के पक्ष में अवेचनीय, ब्याज रहित रुपया प्रतिभूतियाँ जमा कर प्रतिभूति स्वाते में इतना ही जमा किया गया है। अतः बजट अनुमान 2000-2001 में 980.51 करोड़ रुपए के प्रावधान की तुलना में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष अंशदान हेतु संशोधित अनुमान 2000-2001 के लिये 806.24 करोड़ रुपए है।

आई.एम.एफ. खाता संस्था 1 में रुपया शेष राशियों के कम हो जाने पर 2001-2002 के दौरान आवश्यक हो गए पुनः खरीद लेन-देनों के सम्बन्ध में भा० रि० बैंक के आई.एम.एस. खाता संस्था 1 की पुनः पूर्ति के लिए रुपया प्रतिभूतियों को भुनाना आवश्यक हो गया है। ब०अ० 2000-2001 में 111.40 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया था जिसे 207.96 करोड़ रुपए के लिए सं०अ० 2000-2001 में संशोधित किया था। वर्ष 1991-93 के दौरान अंतः मुद्रा कोष सुविधा के पुनर्खरीद कार्यक्रम को पूरा किये जाने को देखते हुए प्रतिभूतियों के नकदीकरण के लिये बजट अनु. 2001-2002 में इस प्रयोजनार्थ कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

विशेष आहरण अधिकार (एस.डी.आर): भारत अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के एस.डी.आर. आवंटन का भागीदार है। 1981 से भारत को आबंटित निवल संचित एस.डी.आर. 681.2 मिलियन बने रहे क्योंकि एस.डी.आर. का कोई नया आवंटन नहीं किया गया। एस.डी.आर. का उपयोग अतिरिक्त अभिदान की अदायगी सहित प्रभारों की अदायगी और पुनः क्रय संबंधी देनदारियों को पूरा करने के लिए किया जाता है।

कोष प्रत्येक धारक को उसके द्वारा धारित एस.डी.आर. पर ब्याज की अदायगी करता है और प्रत्येक भागीदार के निवल संचित आवंटन पर उसी दर से प्रभार लगाता है। कोष सभी भागीदारों के निवल संचित आवंटनों पर उनके एस.डी.आर. खाते के प्रशासन के संबंध में निर्धारण प्रभार भी लगाता है। प्रत्येक वर्ष के फरवरी, मई, अगस्त और नवम्बर के आरम्भ में निवल ब्याज अथवा निवल प्रभारों को व्यक्तिगत धारक खाते को जमा करके अथवा नामे डाल कर तय किया जाता है।

2000-2001 के दौरान प्रतिपूरक और आकस्मिक वित्तपोषण सुविधा और सहायक व्यवस्थाओं के अन्तर्गत भारत द्वारा 30.6.1993 तक 3559.9 मिलियन एस.डी.आर. के आहरण के परिणामस्वरूप एस.डी.आर. का उपयोग करके 115.30 करोड़ रुपए के बराबर की राशि की पुनः खरीद की गई है। सुविधा के प्रति पुनर्खरीद दायित्व पूरे किए जाने के मद्देनजर बजट 2001-2002 के बजट के कोई प्रावधान आवश्यक नहीं है।

खरीदारी तथा पुनः खरीदारी संबंधी लेन देनों को लोक खाते में विशेष आहरण अधिकार नामक शीर्षक में नामे/जमा के रूप में दिखाया जाता है। विशेष आहरण अधिकारों के रूप में अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को जो अदायगियां की जाती हैं उनको इस शीर्ष के अंतर्गत प्रतिपक्षी नामे डालकर सम्बद्ध व्यय शीर्षों में नामे डाल दिया जाता है। इसी प्रकार, विशेष आहरण अधिकारों के रूप में जो धनराशियां वसूल की जाती हैं उनको भी इस शीर्ष के अंतर्गत प्रत्यावस्थित आधार पर नामे डालकर सम्बद्ध प्राप्ति शीर्षों में जमा के रूप में दिखा दिया जाता है। विशेष आहरण अधिकार नामक शीर्ष में संशोधित अनुमान 2000-2001 में कुल जमा की गई राशि 1098.95 करोड़ रुपए थी, जिसमें से एस.डी.आर. लेखों को प्रतिपक्षी क्रेडिट की जाएगी। विशेष आहरण अधिकारों के नामे कुल जमा राशि 2000-2001 के संशोधित अनुमान में 1054.18 करोड़ रुपए बैठती थी जो एस.डी.आर. लेखों में प्रतिपक्षी रूप में जमा की जाएगी।

अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक (आई.बी.आर.डी.): अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक को अपरक्राम्य और ब्याज-रहित रुपया प्रतिभूतियों के तौर पर की गई मूल्य अदायगियों संबंधी अनुरक्षण के रूप में 2000-2001 के बजट अनुमानों तथा सं. अनुमान दोनों में एक लाख रुपए प्रत्येक के लिए व्यवस्था की गई थी, ब०अ० 2001-2002 में इस उद्देश्य के लिए एक लाख रुपए रखा गया है।

आई.बी.आर.डी. द्वारा प्रतिभूतियों के नकदीकरण के लिए बजट अनुमान, 2000-2001 में 35 करोड़ रुपए की व्यवस्था शामिल थी। सं. अ. 2000-2001 तथा ब.अ. 2001-2002 प्रत्येक में इस प्रयोजनार्थ 37.60 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है।

अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ (आई.डी.ए.): चूंकि भारत को यह भुगतान मांग करने पर करना अपेक्षित था इसलिए ब०अ० 2000-2001 में आई.डी.ए. II अभिदान हेतु शून्य व्यवस्था की गई ब०अ० 2001-2002 के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है।

आई.डी.ए. के संबंध में प्रतिभूतियों के नकदीकरण हेतु ब.अ. 2000-2001 में 1 लाख रुपए का सांकेतिक प्रावधान किया गया था। सं.अ. 2000-2001 के लिये कोई प्रावधान नहीं किया गया है। ब.अ. 2001-2002 के अधीन 56 लाख रुपए रखे गये हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय कृषि विकास निधि: भारत अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास निधि के, जोकि संयुक्त राष्ट्रसंघ का एक विशिष्ट अभिकरण है, आरंभिक सदस्यों में से एक है। इसके आरंभ होने से लेकर 1999-2000 तक, भारत ने अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास निधि के संसाधनों में 35 मिलियन डालर का अंशदान किया है। भुगतान भा.रि. बैंक द्वारा आईएफडी के पक्ष में धारित अपरक्राम्य अब्याजी रुपया प्रतिभूतिया जारी कर दिए जाते हैं। भारत सूची ग में विकासशील देशों के बीच आई एफ ए डी के लिए सबसे बड़ा अंशदाता है। 2000-2001 तक 21वीं निकासी के तहत आईएफएडी की तीसरी प्रतिपूर्ति के प्रति भारत के अंशदान की राशि, 1944,000 अमरीकी डालर (590,70,191) रुपए के समतुल्य है।

एशियाई विकास बैंक: एशियाई विकास बैंक रुपया प्रतिभूतियों को भारतीय रिजर्व बैंक के पास रखता है, जिनको समय-समय पर भारत में रुपयों में किए गए स्वर्च को पूरा करने के लिए भुनाया जा सकता है। इस प्रकार भुनाये जाने के लिए संशोधित अनुमान 2000-2001 में 1.80 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई थी। 2001-2002 के बजट अनुमानों में 5.00 करोड़ रुपए का अनुमान किया गया है।

अफ्रीकी विकास निधि और अफ्रीकी विकास बैंक: की स्थापना मुख्यतया इस उद्देश्य से की गई थी कि उदार शर्तों पर वित्तीय सहायता देकर इस क्षेत्र का आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से और विकास किया जा सके। अफ्रीकी देशों के साथ घनिष्ठ आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत इन दोनों ही संस्थाओं में शामिल हो गया है।

अफ्रीकी विकास निधि और अफ्रीकी विकास बैंक के सदस्य के रूप में भारत को इन संगठनों के पूंजी पुनर्भरणों की बचनवद्धता के अपने हिस्से का भुगतान करना है। आज तक, भारत ने अपने विभिन्न पुनर्भरणों के अधीन अफ्रीकी विकास निधि के संसाधनों के लिए कुल 98.51 करोड़ रुपए का अंशदान किया है। अफ्रीकी विकास निधि के VIII वें पुनर्भरण के लिए वार्ताएं पूरी हो चुकी हैं। 7.99 करोड़ रुपए प्रत्येक की पहली तथा दूसरी किस्त 1999-2000 तथा 2000-2001 में अदा की जा चुकी है। 7.99 करोड़ रुपए की तीसरी किस्त का भुगतान 2001-2002 में किया जाएगा। ए.डी.एफ. की वर्तमान नकदीकरण अनुसूची के आधार पर हमें 1.14 करोड़ रुपए का 2000-2001 में और 3.12 करोड़ रुपए का 2001-2002 में भुगतान करना है।

जीसीआई-IV तक भारत ने अफ्रीकी विकास बैंक के पूंजी स्टॉक में 5.40 करोड़ रुपए का अंशदान किया है। जीसीआई-IV लिए वार्ताएं पूरी हो गई हैं। अफ्रीकी विकास बैंक के पूंजी स्टॉक की पांचवी सामान्य पूंजी वृद्धि (जीसीआई-V) के तहत भारत को 1860 शेयर आवंटित किये गये हैं। इसमें से 112 शेयर प्रदत्त हैं तथा शेष 1748 शेयर मांग योग्य हैं। प्रदत्त शेयरों के प्रति भारत का अंशदान यू.ए. 1120000 की नियत विनिमय दर पर 13,51,112 अमरीकी डालर में की जाएगी। प्रदत्त शेयरों का भुगतान आठ समान वार्षिक किस्तों में किया जाएगा। अफ्रीकी विकास बैंक के 78,29,694 रुपए के समतुल्य 1,68,889 अमरीकी डालर के समतुल्य 1,40,000 यू.ए. की प्रथम किस्त वर्ष 2000-2001 में अदा कर दी गई है। लगभग 78,29,694 रुपए की दूसरी किस्त की अदायगी अफ्रीकी विकास बैंक को मुक्त परिवर्तनीय मुद्रा में मांग पर नकदीकरण कराए जाने वाले नोटों में 2001-2002 में की जाएगी।

भारत सरकार और बैंक-ग्रुप के बीच तकनीकी सहयोग करार: भारत में 27.7.98 को ए.डी.बी. के साथ एक तकनीकी सहयोग करार पर हस्ताक्षर किये हैं। इस करार के अंतर्गत भारत को तीन वार्षिक किस्तों में 150 मिलियन रुपये का भुगतान करना है। इस धनराशि का उपयोग भारत में परियोजना से संबंधित अध्ययनों एवं बैंक साफ प्रशिक्षण के लिये परामर्शियों की सेवाओं के वित्त-पोषण हेतु किया जाएगा। इस करार के अधीन प्राप्त 95 प्रतिशत माल एवं सेवाएं भारतीय स्रोत की होंगी। 10 करोड़ रुपए की पहली तथा दूसरी किस्त एडीबी को अदा कर दी गई है। 5 करोड़ रुपए की तीसरी किस्त मार्च, 2001 में अदा की जाएगी।

(V) अन्य मदें:

इन अनुमानों में, औद्योगिक और कोयला खान श्रमिकों के लिये परिवार पेंशन और जीवन बीमा निधि की जमा धनराशियों के साथ-साथ, डाक बीमा और जीवन वार्षिकी निधि तथा केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी सामूहिक बीमा निधियां केन्द्रीय सरकारी क्षेत्रक के उपक्रमों की जमा राशियां, सुरक्षा जमा, न्यायालय जमा आदि शामिल हैं। वर्ष 2000-2001 के दौरान कच्चे तेल एवं पेट्रोलियम उत्पादों पर उत्पाद शुल्क एवं सीमाशुल्क की कटौती को देखते हुए तेल समन्वय सीमिति के जमा खाते के अधीन बकाया राशियों को अगले वर्ष के खातों में अग्रनीत नहीं किया जा रहा है। यह प्रोफार्मा आधार पर किया जा रहा है।